

राजस्थान सरकार
निदेशालय राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थानजयपुर

क्रमांक: एफ.1(ए)302/संस्था/बीमा/2020/

दिनांक: 24-02-2020

-:आदेश:- 530

विभाग से पूर्व में लिंक अधिकारी के सम्बन्ध में जारी समस्त आदेशों के अतिक्रमण में विभागीय मुख्यालय/साधारण बीमा योजना में पदस्थापित निम्नांकित अधिकारी के भ्रमण/अवकाशकाल/अनुपलब्धता में उनके सम्मुख अंकित अधिकारी, लिंक अधिकारी के रूप में उनका कार्य सम्पादित करेंगे :-

क्र. सं.	पदनाम	लिंक अधिकारी
1.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, सतर्कता
2.	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राष्ट्रीय पेंशन
3.	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राष्ट्रीय पेंशन	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, सतर्कता
4.	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, सतर्कता	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा
5.	अतिरिक्त निदेशक, प्रावधायी निधि	अतिरिक्त निदेशक, विधि एवं प्रशिक्षण
6.	अतिरिक्त निदेशक, विधि एवं प्रशिक्षण	अतिरिक्त निदेशक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
7.	अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम	अतिरिक्त निदेशक, रेकार्ड डिजिटाइजेशन
8.	अतिरिक्त निदेशक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	अतिरिक्त निदेशक, शिकायत निवारण
9.	अतिरिक्त निदेशक, रेकार्ड डिजिटाइजेशन	अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम
10.	अतिरिक्त निदेशक, शिकायत निवारण	अतिरिक्त निदेशक, प्रावधायी निधि
11.	अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा	अतिरिक्त निदेशक, एनपीएस सैब
12.	अतिरिक्त निदेशक, एनपीएस सैब	अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा
13.	संयुक्त निदेशक, रेकार्ड डिजिटाइजेशन	संयुक्त निदेशक, सिस्टम
14.	संयुक्त निदेशक, सिस्टम	संयुक्त निदेशक, रेकार्ड डिजिटाइजेशन
15.	संयुक्त निदेशक, संस्थापन	संयुक्त निदेशक, सामान्य प्रशासन
16.	संयुक्त निदेशक, सामान्य प्रशासन	संयुक्त निदेशक, संस्थापन
17.	संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा	संयुक्त निदेशक, प्रावधायी निधि
18.	संयुक्त निदेशक, प्रावधायी निधि	संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा
19.	संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	संयुक्त निदेशक, जनसम्पर्क एवं मुख्यालय
20.	संयुक्त निदेशक, जनसम्पर्क एवं मुख्यालय	संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
21.	संयुक्त निदेशक, लोक सेवा प्रदायगी, आरटीआई एवं क्लेरिंग हाऊस	संयुक्त निदेशक, जनसम्पर्क एवं मुख्यालय
22.	उपनिदेशक, सिस्टम	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)
23.	सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन	सहायक निदेशक, सिस्टम
24.	सहायक निदेशक, सिस्टम	सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन
25.	मुख्य लेखाधिकारी	वरिष्ठ लेखाधिकारी
26.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	लेखाधिकारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
27.	लेखाधिकारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	सहायक लेखाधिकारी (राष्ट्रीय पेंशन)
28.	सहायक लेखाधिकारी (राष्ट्रीय पेंशन)	सहायक लेखाधिकारी (बजट)
29.	सहायक लेखाधिकारी (बजट)	सहायक लेखाधिकारी (अंकक्षण)
30.	सहायक लेखाधिकारी (अंकक्षण)	सहायक लेखाधिकारी (बजट)
31.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक)
32.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक)	उप निदेशक, सिस्टम
33.	प्रोग्रामर	सहायक निदेशक, सिस्टम
34.	अतिरिक्त निदेशक, मेडिकलेम	अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा
35.	अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा	अतिरिक्त निदेशक, मेडिकलेम

क्र. सं.	पदनाम	लिंक अधिकारी
36.	संयुक्त निदेशक, मेडिकलेम	संयुक्त निदेशक, जीपीए (विद्यार्थी सुरक्षा)
37.	संयुक्त निदेशक, जीपीए (विद्यार्थी सुरक्षा)	संयुक्त निदेशक, मेडिकलेम
38.	उपनिदेशक, मेडिकलेम	उपनिदेशक, साधारण बीमा
39.	उपनिदेशक, साधारण बीमा	उपनिदेशक, मेडिकलेम
40.	सहायक निदेशक, साधारण बीमा	सहायक निदेशक(विधि) साधारण बीमा
41.	सहायक निदेशक(विधि) साधारण बीमा	सहायक निदेशक, साधारण बीमा
42.	लेखाधिकारी, साधारण बीमा	सहायक लेखाधिकारी साधारण बीमा
43.	सहायक लेखाधिकारी साधारण बीमा	सहायक लेखाधिकारी अंकेक्षण (साबीयो)
44.	सहायक लेखाधिकारी अंकेक्षण (साबीयो)	सहायक लेखाधिकारी साधारण बीमा

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

20/2/2020
(के० एम० दूडिया)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.1(ए)302/संस्था/बीमा/2020/13078-128

दिनांक: 24-02-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव निदेशक महोदय मुख्यालय
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय
3. समस्त अधिकारी मुख्यालय/साधारण बीमा योजना जयपुर।
4. समस्त अनुभागाधिकारी मुख्यालय/साधारण बीमा योजना जयपुर।
5. कैंडर स्ट्रेन्थ लिपिक
6. रक्षित पत्रावली

20/2/2020
संयुक्त निदेशक (संस्थापन)
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर